

an>

title: Issue regarding non-payment of wages to Indian workers in Saudi Arabia.

श्री ओम विरला (कोटा) : सभापति महोदय, सऊदी अरब में सऊदी-बिन-लादेन निर्माण कम्पनी के अंदर भारतीय मूल के 70 हजार कामगारों को उस कम्पनी ने छंटनी करके निकाल दिया है। इन 70 हजार कामगारों को पिछले आठ महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उनके बच्चों की फीस, खाने की खेती और रुग्नों का इंतजाम नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं इन कामगारों को एनिजट वीजा भी दे दिया गया है। मेरी सरकार से मांग है कि भारत सरकार के सऊदी अरब में जो काउंसलर हैं, वह सऊदी अरब में जाकर मिलें, उन कामगारों को वेतन दिलाने का काम करें और उस कम्पनी के खिलाफ वहां की सरकार के नियमों के तहत कार्रवाई करें वर्तींकि उन 70 हजार कामगारों में से 25 हजार राजस्थान के हैं और राजस्थान के एक प्रमुख अखबार में यह खबर छपी है और यह बहुत ही वित्ती की बात है कि किस तरीके से नियमों में छापे कामगारों के साथ अनजिटिस किया जाता है और अवाधित और गलत तरीके से छंटनी करके एनिजट वीजा दिया जाता है। इस सब की जांच होनी चाहिए और वहां की सरकार के कानून के तहत कार्रवाई की जाए।

HON. CHAIRPERSON: The hon. Minister wants to respond.

श्री भैरों पूर्णाशंकर मिश्र,

श्री वन्दू पूर्णाशंकर जोशी,

श्री सुधीर गुप्ता,

श्री पी.पी. वौधारी,

श्री गजेन्द्र शिंह शेखावत,

कुंवर पुराण्डे शिंह चन्देल,

श्री जगद्विवका पाल,

श्री शरद त्रिपाठी को श्री ओम विरला द्वारा उठाए गए विशेषज्ञ के साथ संबंध बनाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कौशल विकास और उदामशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूद्री): महोदय, इस विशेषज्ञ के बारे में कई माननीय सांसदों ने भी सरकार का द्यावा आकृष्ण रूप किया है और कई सारे मेल्स इस बारे में माननीय सांसदों के पास आ रहे हैं, जो इस प्रकार की घटनाओं के बारे में वर्ता कर रहे हैं। श्री ओम विरला, जो कोटा, राजस्थान से सांसद हैं, जो वेतनभोगी कामगारों की जो वर्ता की है, इस पूरे विशेषज्ञ के बारे में मैं विदेश मंत्रालय के पास जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजूँगा और जो भी इस बारे में आवश्यक कार्रवाई होगी, वही अंतर्यामीय मामला है और सऊदी अरब की सरकार से संबंधित है। इसलिए संबंधित मंत्रालय से बात करके जो भी उपरित कठम होगा, हम उसको उठाने का प्रयास करेंगे।